कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

"निविदा सूचना"

क्र./एफ/130/रो.छे./2024 भिलाई, दिनांक 24/7/24

आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से रोका–छेका संकल्प अभियान अंतर्गत अकुशल श्रमिक प्रदाय कार्य हेतु इच्छुक एजेंसी से मुहरबंद निविदा स्पीड पोस्ट के माध्यम से **दिनांक 13.08.2024** को सायं 5:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं **दिनांक 14.08.2024** को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन **दिनांक 05.08.2024** को 5:30 बजे तक निर्धारित राशि के साथ आवेदन स्वीकार किये जावेगा।

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत (रूपये में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	फार्म
1	आवारा पशुओं के प्रबंधन कार्य हेतु अस्थाई रूप से अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने बाबत्। (कार्य अविध एक माह)	रू. 4,48,562.00	रू. 4,500.00 (एफ.डी.आर.)	750.00 रू.	एक माह	"बी"

नियम एवं शर्ते :– (1) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। (2) निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर डाक से स्वीकार किये जायेंगे। (3) धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना होगा एवं निविदा दर लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। (4) यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है, तो ऐसी स्थिति में अंतिम/तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा। (5) किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई की बेवसाईट www.bhilainagarnigam.com, संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in एवं ई–गवर्नेंस की वेबसाईट www.bhilai.urbanecg.gov.in में देखी जा सकती है। **निविदा में किसी प्रकार की संशोधन सूचना मात्र निगम के वेबसाईट में प्रदर्शित की जावेगी। किसी भी समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।**

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)

कार्य का नाम :– आवारा पशुओं के प्रबंधन हेतु अस्थाई रूप से अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने बाबत्। (कार्य अविध एक माह)

–: नियम शर्ते :–

1. नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत आवारा पशुओं के प्रबंधन हेतु अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने क कार्य कराया जाना है।
2. एजेंसी को अपने फर्म/कंपनी का पंजीयन दस्तावेज की छायाप्रति जमा करना होगा। एजेंसी को को भी छ.ग. शासकीय कार्यालय केन्द्र के शासकीय कार्यालय एवं अन्य पी.एस.यू. कार्यालय से काली सू (ब्लेक लिस्ट) नहीं होना चाहिए। अनुबंध की अवधि (एक माह) की होगी। नगर पालिक निगम के का की आवश्यकता अनुसार अनुबंधित अवधि एवं कर्मचारी संख्या 25 प्रतिशत तक कमी या वृद्धि की ज सकती है। इसके लिए एजेंसी बाध्य होगी।
3. अकुशल श्रमिकों द्वारा आकस्मिकता की स्थिति में उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य भी कराए ज सकते हैं। श्रमिकों को सामान्य पाली के अतिरिक्त अन्य पालियों में भी कार्य पर लगाये जा सकते है इसके लिए पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
4. निविदा स्वीकृत होने पर कार्यादेश जारी होने उपरांत कार्यक्षेत्र पर 30 नग अकुशल श्रमिक उपल कराना अनिवार्य होगा।
5. अकुशल श्रमिक की अनुपस्थिति की स्थिति में आवश्यकता होने पर एजेंसी द्वारा अन्य अकुशल श्रमि की व्यवस्था करनी होगी एवं श्रमिकों को कार्य के द्वौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थि में समस्त जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
6. अनुबंधित एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए अकुशल श्रमिक के कार्य करने से निगम को कोई आर्थि क्षति होती तो उसकी वसूली, अनुबंधित एजेंसी को भुगतान किए जाने वाले देयकों से कटौती कर जावेगी। यदि कटौती योग्य राशि, भुगतान योग्य राशि से अधिक होगी, तो उसकी वसूली, बकाया राज वसूली के रूप में छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत विहित प्रक्रिया निधि से अनुबंधित एजेंसी से की जावेगी।
7. प्रतिदिवस अकुशल श्रमिक को सौपे गये कार्य को पूर्ण कराने का दायित्व अनुबंधित एजेंसी का ही रहेग
8. निविदाकार को कार्य पूर्ण होने पर अनिवार्य रूप से देयक संबंधी विभाग प्रमुख से सत्यापित करा विभाग में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होगी।
9. शासन के घोषित श्रम नियमों का पालन करना होगा। न्यूनतम वेतन दरों से कम वेतन का भुगत नियोजित कर्मचारियों को नहीं किया जावेगा। अन्यथा संपूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।
10. निविदा स्वीकृत होने पर 100/– रूपये के अनुबंध पत्र पर आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, नगर पालि निगम भिलाई से निविदा के नियम व शर्ते के अंतर्गत अनुबंध करवाना अनिवार्य होगा।

क्रमशः 2

11. संपूर्ण निविदा या अंश को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिला के पास सुरक्षित रहेगा। विवाद की किसी भी स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्ण अंतिम एवं बंधनकारी होगा। अनुबंधित एजेंसी से आवश्यकतानुसार संख्या में अकुशल श्रमिक कार्य लगाया जा सकेगा। कार्य सतोषप्रद न होने पर संविदा की अवधि कम या निरस्त करने का अधिक आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित होगी।

12. सहायक श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दैनिक/मासिक वेतन की न्यूनतम दर से कम दरें निविदा में प्रा होने पर, उक्त निविदा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।

13. **धरोहर राशि रू. 4500.00** कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई एवं संबंधित निविदाकार संयुक्त नाम का एफ.डी.आर. लिफाफा **(क)** में एवं ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई.सी. में काली सूची न संबंधी शपथ पत्र 100/– स्टॉम्प पेपर लिफाफा **(ख)** में एवं दोनो लिफाफा **(ग)** में भरकर मुख्य कार्याल (कम्प्यूटर शाखा कक्ष क्र.–40) नगर पालिक निगम भिलाई में दिनांक **13.08.2024 शाम 5:30** बजे त स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा जमा करना होगा। उसके उपरांत लिफाफा स्वीकार नही किया जावेग

14. किसी भी प्रकार का Amendment/Corrigendum केवल भिलाई नगर पालिक निगम की वेबसाइ www.bhilainagarnigam.com एवं संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in पर ही प्रदर्शि किया जावेगा।

15. अनुबंधित एजेंसी को न्यूनतम वेतन अधिनियिम 1948 के प्रावधानों के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन अन्य आवश्यक भुगतान, जो कि ई.पी.एफ., ई.एस.आई. अवकाश वेतन आदि देना अनिवार्य होगा।

16. अनुबंधित एजेंसी को निगम/राज्य शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में जारी निर्देश का पाल करना अनिवार्य होगा।

17. एजेंसी को पेनकार्ड, जी.एस.टी., फर्म पंजीयन, ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. का पंजीयन होना अनिवार्य है प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

18. निर्धारित तिथि में ठेकेदार द्वारा जी.एस.टी. की राशि निविदा की दरों में जोड़कर देना होगा। कार्य पू होने उपरांत संबंधित विभाग में जमा कर, भुगतान का बिल प्रस्तुत करना होगा।

19. सहायक श्रम आयुक्त का दर समय–समय पर बढ़ने पर एजेंसी को समस्त अकुशल श्रमिक को ब हुआ दर से भुगतान करना अनिवार्य होगा। समानुपातिक रूप से दरों में हुई वृद्धि का भुगतान निग पृथक से करेगी।

20. यदि एजेंसी द्वारा सहायक श्रम आयुक्त दर अनुसार अकुशल श्रमिक को भुगतान नही करने निविदा/संविदा को निरस्त किया जावेगा।

21. एजेंसी द्वारा अपनी दरें सहायक श्रमायुक्त की दर अनुसुची (ख) अनुसूचित नियोजन भाग–एक के नियोजन के अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार दर प्रस्तुत नहीं करने पर निवि अमान्य की जावेगी।

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई (छ.ग.)

क्रमशः 3

22. विभाग में निर्धारित तिथि एवं समय तक समस्त दस्तावेज, एफ.डी.आर. एवं शपथ पत्र को स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा जमा करना होगा।

23. एफ.डी.आर. एवं शपथ पत्र, नियमानुसार प्राप्त होने के उपरांत ही तकनीकी दस्तावेज खोला जावेगा तकनीकी दस्तावेज सही प्राप्त होने एवं पात्र होने के उपरांत ही संबंधित निविदाकार का वित्तीय ऑफ खोला जावेगा।

NIT

क्र.	कार्य विवरण	अकुशल श्रमिकों की संख्या	दर प्रति अकुशल श्रमिक/प्रतिमाह	कुल दर (शब्दों में)
1.	आवारा पशुओं के प्रबंधन हेतु अस्थाई रूप से अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने बाबत्। (कार्य अविध एक माह)	30Nos.		

टीप :– दरें प्रति अकुशल श्रमिक/प्रतिमाह जीएसटी कर सहित दिया जाना होगा।

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई (छ.ग.)

Name & Signature of the Bidder/Agency along with Seal